न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर

प्रकरण संख्या :- 41/25 दायर दिनांक 14.05.2025

निर्णय दिनांक 22.05.2025

उनवान :-

1. श्रीमती लीला पत्नी राकेश मीणा साकिन रखबदेव (ऋषभदेव) जिला उदयपुर

प्रार्थिया

—: बनाम :—

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार डूंगरपुर जिला डूंगरपुर राजस्थान

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा शुद्धि कराने बाबत्।

—:: <u>निर्णय</u> ::—

निर्णय दिनांक 22.05.2025

प्राथिर्या श्रीमती लीला पत्नी राकेश मीणा निवासी रखबदेव (ऋषभदेव) जिला उदयपुर द्वारा दिनांक 24.03.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ऑनलाईन राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा शुद्धि हेतु दिनांक 24.03 2025 को इस न्यायालय में में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी जॉच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने तहसीलदार पालदेवल को लिखा जाने पर उक्त प्रकरण की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया की ग्राम पालवडा में खसरा नम्बर 3993/351 रकबा 4.12 बीघा जरिये विक्रय विलेख के दिनांक 24.12.1988 से क्रय कर जरिये नामान्तरकरण संख्या 552 से लीला पति राकेश, कमला पत्नी देवेन्द्र कुमार सा. रखबदेव, इन्द्रा पति नवीनचन्द्र सा.रोबिया तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर जाति मीणा हिस्सा बराबर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड गया है। राजस्व ग्राम पालवडा के तुलनात्मक गत खसरा नम्बर 3993/351/2 रकबा 1.10 बीघा वर्तमान नवीन खसरा नम्बर 376 रकबा 0.24 हेक्टेयर भूमि के नक्शा की शुद्धि कराने बिन्दुवार रिपोर्ट मय नक्शा शीट के प्रस्तुत की है। वर्तमान नक्शा शीट में पेमुदगी नही होकर बना है जिसे शुद्ध करने निवेदन किया। प्रार्थना पत्र की जॉच तहसीलदार पालदेवल द्वारा संबंधित खातेदारों के समक्ष मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड से जॉच कर पर्चा मौका एवं प्रस्तावित नक्शा शीट को दर्शाते हुये प्रस्तावानुसार शुद्धि किया जाने सहमति व्यक्त की है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पालदेवल को आदेश दिया जाता है कि मौजा पालवडा के वर्तमान खसरा नम्बर 376 एवं 376/1 को खसरा नम्बर 379 के स्थान पर पैमुद किया जाना है तथा खसरा नम्बर 379 को खसरा नम्बर 374 के स्थान पर व 375 को वर्तमान अंकित 376 के स्थान पर शुद्धि का चित्रण किया जाना प्रस्तावित किया है। वर्तमान नक्शा शीट में जमाबन्दी में अंकित रकबे अनुसार रकबा एवं आपके प्रस्ताव तथा नक्शा ट्रेस के अनुसार वर्तमान नक्शा शीट में सही, शुद्ध व आदिनांकित चित्रण किया जावे। तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित ट्रेस नक्शा परिशिष्ठ 'अ' एवं प्रस्ताव परिशिष्ठ ब इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। आदेशानुसार पालना हेतु तहसीलदार पालवडा को लिखा जावे।

पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

(सांवरलाल आबासरा)

उपखण्ड अधिकारी

डूंगरपुर

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर